न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्, औरंगाबाद (बिहार)।

उपस्थित–मनीष कुमार जायसवाल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–575/2026

वन थाना कांड संख्या–07/2025

आदेश तिथि : 01.04.2026

ललन यादव एवं अन्य.....आवेदकगण।

वनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

01-04-2026 आवेदकगण–1. ललन यादव 2. लालजी यादव की ओर से वन थाना कांड संख्या–07/2025 अंतर्गत धारा–33(1)(a),33(c),66(a) वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 एवं 03 में अपनी गिरफ्तारी के आशंका को देखते हुये अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित हुए। बचाव पक्ष द्वारा जमानत आवेदन संचालित कर कथन किया गया है कि–

घटना तिथि 20.02.2025 को समय 12.10 बजे अपराह्न में पहुँचा तो देखा कि सहियारी पी0एफ0 के अंतर्गत जंगली झाड़ियों को साफ कर ब्लॉक वाइज अफिम का फसल लगा हुआ पाया, जिसकी उँचाई लगभग 03 फीट से 04 फीट तक थी। सभी में फर लग चुकी थी एवं अफीम की फसल को जाली से घेराबंदी की गई थी एवं जंगली झाड़ियों को काट कर चारो ओर से घेरान की गई थी तत्पश्चात् पुरी फसल को नष्ट किया गया। थोड़ी ही दूरी पर दूसरा ब्लॉक मिला इसी प्रकारी 15 ब्लॉक में लगे अफीम की फसल को विनष्ट किया गया। घटनास्थल पर पटवन हेतु उपयोग में लाये गये 01 डिजल सिडी, 200 फिट डिलीवरी पाईप एवं कोड़नी निकौनी में उपयोग की जाने वाली 04 कुदाल एवं घेरान में उपयोग की जाने वाली जाली 40 कि0ग्रा0 अफीम की फर–01 कि0ग्रा0 नमूना के तौर पर को जप्त की गई।

आवेदक अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष है तथा जैसा प्राथमिकी में कहा गया है, वैसी कोई घटना कारित नहीं की गई है। प्रार्थी के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या अन्य वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी की ओर से वन विभाग के किसी भूखण्ड पर जंगली झुरमुठ को साफ नहीं किया है और न कथित अफीम फसल लगाया गया है। पुलिस प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि वन परिषद पदाधिकारी द्वारा प्रार्थी अपराध प्रतिवेदन का अभियुक्त नहीं है बल्कि प्रार्थी के ग्रामीणों के बताने के आधार पर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया है। प्रार्थी ललन यादव सुरत में रहकर कपड़ा मिल में मजदूरी करता है तथा लालजी यादव वृद्ध व्यक्ति है, जो घर पर रहता है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय के प्रत्येक शर्तों का पालन

लगातार.....

Contd-------
01-04-2026

करने को तैयार हैं। अतः आवेदक/अभियुक्तगण को किसी भी राशि के बंधपत्र पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है और वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन वन थाना कांड संख्या–07/2025 अंतर्गत धारा–33(1)(a),33(c),66(a) वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 02 एवं 03 से सम्बन्धित है, जिसमें सूचक का यह आरोप है कि आवेदक अभियुक्तगण ने जंगल के जमीन पर जंगली झाड़ी को नष्ट करते हुए उस पर अफिम की खेती किया गया। अभियोजन प्रतिवेदन में यह अंकित है कि घटनास्थल पर झाड़ी एवं वृक्षों को काट कर समतल भूमि बना कर अफीम की खेती आवेदकगण के द्वारा किया गया है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित धारायें में सजा की अधिकतम सीमा दो वर्ष की है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी की स्थिति में या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आदेश संसूचना की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदक/अभियुक्तगण के आत्मसमर्पण किये जाने की दशा में बीस–बीस हजार रूपये के दो विश्वसनीय जमानतदारों एवं उतने ही धनराशि के बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर संबंधित विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर धारा 438(2) दं0प्र0सं0 में दिये गये शर्तो के अधीन रहते हुए उपरोक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्,
औरंगाबाद।